न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–02/25

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
प्रोटियम फाईनेन्स लिमिटेड एन के पी बी 6 द्वितीय तल पहाडी विलेज, आफ वेसटर्न एक्सप्रेस हाईवे कामा इन्डस्ट्रीयल स्टेट, गोरेगांव, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी आदेश भारद्वाज		• गोरव ज्वेलर्स वास्ते प्रोपराईटर चैना राम पंचवटी कालोनी पीपाड सिटी जोधपुर • चैना राम पंचवटी कालोनी, सिलारी रोड़ पीपाड सिटी जोधपुर • मनोहरी देवी पंचवटी कालोनी, सिलारी रोड़, पीपाड सिटी जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक:–02-04-2025

1–करण सिंह चौहान अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण गोरव ज्वेलर्स वास्ते प्रोपराईटर चैना राम व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 75,00,000/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **चैनाराम पुत्र तिलोकचन्द** की जायदाद **खसरा नं. 2298 कस्बा पीपाड़ सिटी सिलारी रोड टावर से गौशाला रोड के बीच, पीपाड़ सिटी जोधपुर में स्थित सम्पति प्लॉट जिसका पटटा न. 480 प्रकरण स. 88/1995 के कुल क्षेत्रफल 3104.16 वर्गगज का भाग (प्लाट) जिसका क्षेत्र[illegible] उत्तर में प्लाट का निवाल व 20 फीट चोडा रास्ता,** [illegible] **पूर्व में इस पटटे की भूमि मे से राम** [illegible] **पश्चिम में इस पटटे की भूमि आया हुआ,** को [illegible]थिकेशन

Signature valid
Digitally signed by [illegible]av Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.[illegible]7:03:35 IST
Reason: Approved

14557547

कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 10.09.2024 तक 83,47,124.54/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 75,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.09.2024 तक 83,47,124.54/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **चैनाराम पुत्र तिलोकचन्द** की जायदाद **खसरा नं. 2298 कस्बा पीपाड़ सिटी सिलारी रोड टावर से गौशाला रोड के बीच, पीपाड़ सिटी जोधपुर में स्थित सम्पति प्लॉट जिसका पटटा न. 480 प्रकरण स. 88/1995 के कुल क्षेत्रफल 3104.16 वर्गगज का भाग (प्लाट) जिसका क्षैत्रफल 2762.50 वर्गफुट. जिसके उत्तर में प्लाट का निवाल व 20 फीट चोडा रास्ता, दक्षिण में घनश्याम आचार्य का मकान, पूर्व में इस पटटे की भूमि मे से राम निवास चौधरी को बेचा गया प्लाट, पश्चिम में इस पटटे की भूमि आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक **02-04-2025** को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by G[illegible]av Agrawal
Designation: Colle[illegible] & District Magistrate
Date: 2025.04.[illegible]7:03:33 IST
Reason: Approved

557547